



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 895]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/फाल्गुन 7, 1940

No. 895]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/ PHALGUNA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 1027(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 (2010 का 19), की धारा 35 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) संशोधन नियम, 2019 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) नियम, 2011, की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 9 निजी सचिव से संबंधित स्तंभ 11 में "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन "छह वर्ष" शब्द के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 17(23)2010-पीएल/एनजीटी (भाग)]

यशवीर सिंह, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458 (अ), तारीख, 17 जून, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सा.का.नि. 1362 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2019

S.O. 1027(E).— In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2019.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, in the Schedule, against serial number 9 relating to Private Secretary in column 11 under the heading "Promotion" for the word "six years" the words "five years", shall be substituted.

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (Pt.)]

YASHVIR SINGH, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 458(E), dated, the 17th June, 2011 and subsequent amendment *vide* notification G.S.R. 1362 (E) dated 2nd November, 2017.